राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :–F4(ई)1(6)अलेसे III/11807/6624 **दिनांक** :– 21.01.2021

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 268/2020–21 दिनांक 01.01.2021 के क्रम संख्या 110 पर अंकित श्री विरेन्द्र सिंह, कनि0 लेखाकार (लिंक नं. 11807) का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर से मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर किया गया था, किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विरेन्द्र सिंह ने आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः श्री विरेन्द्र सिंह, कनि0 लेखाकार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय (अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर) से नवीन पदस्थापन स्थान (मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर) के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। श्री विरेन्द्र सिंह तत्काल अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर विभाग के ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in/ दूरभाष संख्या 0141–2740735 पर निदेशालय को अवगत करावें।

विभागीय आदेशों की पालना न करने पर श्री विरेन्द्र सिंह, कनि0 लेखाकार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

(सर्वेश कुमार तिवाडी)
निदेशक

क्रमांक :–F4(ई)1(6)अलेसे III/11807/6624 **दिनांक** :– 21.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर को भेजकर लेख है कि वह तत्काल विरेन्द्र सिंह, कनि0 लेखाकार को उनके नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त करावें।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर जोधपुर
5. श्री विरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
6. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/कार्मिक–II/कार्मिक–III) कार्यालय हाजा।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)